जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
महराजगंज।

सेवा में,

प्रबन्धक
सेन्ट जोसेफ स्कूल सिसवा बाजार
क्षेत्र- सिसवा बाजार
जनपद महराजगंज

पत्रांक/शिविर/ 4881-85 /2000-2001 दिनांक 23/9/2001

विषय:- प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1से5तक के अस्थायी मान्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके प्रार्थना- पत्र के आधार पर जनपदीय मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को अस्थायी मान्यता जुलाई 2000 से प्रदान की जाती है। कृपया प्रतिबन्धो को पूर्ति कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावे।

1-विद्यालय में अगले सत्र तक निर्धारित माप का कमरा [लिन्टर] तथा प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति कर लेना अनिवार्य होगा।

2-परिषदीय पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाएगी।

3-विद्यालय में मानक के अनुसार अध्यापक मान्य होगे।

4-यदि विद्यालय जूनियर हाई स्कूल के परिसर में संचालित है तो उसे पृथक कर विद्यालय का रूप दिया जाय।एक साथ विद्यालय चलाना सर्वथा अमान्य होगा।

5-तथ्य गोपन किसी भी दशा में स्वीकार नही होगा। वास्तविकता की जानकारी होने पर मान्यता निरस्त कर दिया जाएगा।

6-विभागीय आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7-पाँच से अधिक वर्ग की अनुमन्यता कार्यालय की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकार होगी एवं वैधानिक रूप से मान्य होगी।

भवदीय,

जिला बेसिकशिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

पृ0स0/शिविर/ /2000-2001 दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सेवार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-सहायक शिक्षा निदेशक[बे0]स0म0,गोरखपुर।
2-उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज।
3-जिला समाज कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
4-सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी क्षेत्र- सिसवा बाजार

Attested

Principal
St. Joseph's Sr Sec. School
Siswa Bazar-Maharajganj (U.P.)

जिला बेसिकशिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

Joseph
Manager
St. Joseph's School
Siswa Bazar, Maharajganj

महराजगंज।

सेवा में,

प्रवन्धक,
सेन्ट जोसेफ्स जू0हा0स्कूल, सिसवा बाजार,
क्षेत्र– सिसवा, महराजगंज।

दिनांक: 26/4/06

पत्रांक / 500-505 / 2006–2007

विषय – अंशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या / 646 / 15–6–97–18 एस (7) / 89 दिनांक 13.08.97 में दिए गये प्राविधानों के अन्तर्गत जू0हा0 स्कूल की अस्थायी मान्यला हेतु गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को (कक्षा 6 से 8 तक) के विद्यालय की अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। इस प्रकार विद्यालय में कुल 03 (तीन) वर्ग अनुमन्य होगें। अतिरिक्त उप वर्ग की अनुमति तथा कक्षा संचालन हेतु पृथक से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विद्यालय में प्र0अ0 सहित कुल पॉच अध्यापक / अध्यापिका, एक लिपिक, एक अनुचर मान्य होगें। चार शिक्षकों में एक भाषा एवं एक विज्ञान गणित शिक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है। विभागीय / शासकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाने पर मान्यता प्रत्याहरण करने का अधिकार बेसिक शिक्षा संहिता में उल्लिखित सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

प्रतिबन्धः–

1. विद्यालय में बेसिक शिक्ष परिषद द्वारा मान्य पाठ्य पुस्तक से भिन्न पाठ्यकम में न तो शिक्षा दी जायेगीं और नही अन्य पाठ्य पुस्तके प्रयोग की जाएगी।
2. विद्यालय में राष्ट्रीय गीत / राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
3. प्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिका ही रखे जाय बिना बे0शि0अ0 के अनुमति के न तो शिक्षक रखे जायेगें, न निकाले जायेगें।
4. विद्यालय में प्रा0पा0 चलाया जाना सर्वथा अमान्य व अवैध माना जायेगा।
5. शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्म0 को परिषद के समान वेतन, महंगाई भत्ता आदि देय होगा।
6. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागिरी लिपि होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
7. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय के समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगां। जिसको डाकघर अनु0 बैंक में रखा जाय।
8. विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जाएगा।
9. सभी शिंक्षण / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अनुमोदन 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य है।

भवदीय,

(भूपेन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

Joseph — Attested
Manager
St. Joseph's School
Siswa Bazar, Maharajganj

Principal
St. Joseph's Sr. Sec. School
Siswa Bazar-Maharajganj (U.P.)

प0सं0 / / 2006–2007 उसी तिथि को

प्रतिलिपिः– निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उ0प्र0, बे0शि0प0, इलाहाबाद। 2– सहा0 शि0नि0 (बेसिक) सप्तम मण्डल गोरखपुर।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
4. उ0बे0शि0अ0महराजगंज 5–सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सिसवा।

(भूपेन्द्र कुमार सिंह)